



गुरु घासीदास विश्वविद्यालय
GURU GHASIDAS VISHWAVIDYALAYA

(A Central University established by the Central Universities Act, 2009, No.25 of 2009)
KONI, BILASPUR-495 009 (C.G.) INDIA, कोनी बिलासपुर 495 009 (छ0ग0) भारत
Tel. - +91-7752- 260342, 260221 Fax - +91-7752- 260154, 260148, website - www.ggu.ac.in

क्रमांक 256.../अकादमी/21

बिलासपुर, दिनांक-
03 NOV 2021

कार्यालयीय ज्ञाप

VET 2021 के अंतर्गत चल रहे काउंसलिंग एवं प्रवेश प्रक्रिया के सम्बन्ध में निम्नानुसार जानकारी आवेदकों के सूचनार्थ जारी किया जाता है -

1. B. Ed. Special HI एवं LD पाठ्यक्रमों के आवेदकों एवं B. Ed. के आवेदकों को प्रवेश सूचना के प्रावधानों के अधीन कॉमन मेरिट बनाकर B. Ed. पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जा रहा है।
2. B. Ed. Special HI एवं LD पाठ्यक्रमों में प्रवेश वर्तमान में नहीं हो रहा है। सीट संख्या स्वीकृत हो जाने के उपरांत इन पाठ्यक्रमों में मेरिट के आधार पर कॉमन मेरिट लिस्ट से प्रवेश दिया जाएगा।
3. B. Pharm. एवं D. Pharm. के आवेदकों को प्रवेश सूचना के प्रावधानों के अधीन कॉमन मेरिट बनाकर दोनों पाठ्यक्रमों में मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जा रहा है।
4. प्रवेश हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है। प्रवेश हेतु जारी सूची के आवेदकों के दस्तावेजों का ऑनलाइन परीक्षण करने के उपरांत ही उन्हें शुल्क जमा करने की सुविधा दी जा रही है। पात्र पाए गए आवेदकों को अपने यूजर आईडी (ईमेल) एवं पासवर्ड का उपयोग करते हुए gguonline.in पर ही प्रवेश/शिक्षण शुल्क जमा करना है। अन्य लिंक अथवा खाते में शुल्क जमा नहीं करना है। उपरोक्तानुसार जानकारी सर्व सूचनार्थ एतद् द्वारा जारी किया जाता है।

आदेशानुसार

कुलसचिव (कार्यवाहक)

पृ. क्र. 257.../अकादमी/21
प्रतिलिपि-

बिलासपुर, दिनांक-03 NOV 2021

1. कुलपति के निज सहायक/सचिव की ओर कुलपतिजी के सूचनार्थ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, शैक्षणिक विभाग, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. समस्त अधिष्ठातागण, विद्यापीठें, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. अधिष्ठाता छात्र कल्याण, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ।
5. परीक्षा नियंत्रक, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय की ओर सूचनार्थ।
6. समन्वयक, आई टी प्रकोष्ठ को सूचनार्थ एवं वेबपटल पर जारी किये जाने की आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. मीडिया प्रभारी, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय की ओर सूचनार्थ।
8. कार्यालय प्रति।

सहायक कुलसचिव (अकादमी)